उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, देवघर

(जिला समाज कल्याण शाखा)

फैक्स–06432-232967 / ई–मेल:–dswodeoghar@gmail.com / awc17monitoring@gmail.com

विज्ञापन संख्या – 01 / 2022–23

अनुबंध पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन

सरकार के सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची के विभागीय संकल्प सं0–650, दिनांक 07.03.2019 एवं पत्रांक 494 / दिनांक 17.03.2020 के प्रावधानानुसार देवघर जिला में प्रधानमंत्री मातृ वंदना कोषांग हेतु संविदा आधारित जिला योजना समन्वयक एवं योजना सहायक के एकल पद पर योजना अवधि तक नियुक्तियाँ की जानी है। इन पदों पर अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। उक्त पदों पर अर्हताधारी उम्मीदवार आवेदन ऑनलाईन JAP IT के वेबसाईट http://recruitment.jharkhand.gov.in/ से Download कर सकेंगे। साथ ही पदों के अनुरूप मांगे गये सभी Documents को भी आवेदन के साथ Scan कर उपर्युक्त वर्णित JAP IT के वेबसाईट पर समर्पित करेंगे। अन्य माध्यमों से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। पदों से संबंधित वेतन एवं अर्हताएँ निम्नवत् है : –

1.

क्र0	पदनाम	कुल पद	आरक्षण का रोस्टर	मासिक नियत वेतन	योग्यता / अनुभव
1	जिला योजना समन्वयक	01	अनारक्षित	रू0 35000 / –	**शैक्षणिक योग्यता –** स्नातकोत्तर (सामाजिक विज्ञान / जीवन विज्ञान / पोषण / औषध / स्वास्थ्य प्रबंधन / सामाजिक कार्य / ग्रामीण प्रबंधन को अधिमानता) **अन्य योग्यताएँ –** 1. सरकारी / अर्द्धसरकारी / गैर सरकारी संस्थानों में संबंधित कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव 2. MS-Office के प्रयोग में दक्षता। 3. अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषा में दक्षता। **उम्र सीमा** – 35 वर्ष से अधिक नहीं।
2	योजना सहायक	01	अनारक्षित	रू0 20000 / –	**शैक्षणिक योग्यता –** स्नातक (सामाजिक विज्ञान / सामाजिक कार्य / ग्रामीण प्रबंधन / सांख्यिकी को अधिमानता) **अन्य योग्यताएँ –** 1. सरकारी / अर्द्धसरकारी / गैर सरकारी संस्थानों में संबंधित कार्य करने का न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव 2. MS-Office के प्रयोग में दक्षता, अंग्रेजी टंकण में 35 शब्द प्रति मिनट एवं हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति। **उम्र सीमा** – 35 वर्ष से अधिक नहीं।

2. आयु सीमा :– कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड द्वारा प्रावधानित नियमों के आलोक में आवेदन के लिए आयुसीमा निम्नवत होगी : –

1. अनुबंध पर नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा की गणना (01.08.2020 के आधार पर)

कोटि	न्यूनतम आयु (वर्ष में)	अधिकतम आयु (वर्ष में)	दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए
अनारक्षित	25 वर्ष	35	45
अत्यंत पिछड़ा वर्ग / पिछड़ा वर्ग		37	47
महिला अनारक्षित (अनारक्षित / अत्यंत पिछड़ा वर्ग / पिछड़ा वर्ग)		38	48
अनुसूचित जाति / अजजा (पुरूष एवं महिला)		40	50

3. संविदा पर नियुक्ति की शर्तें : –

(क) संविदा एक वर्ष के लिए अनुमान्य होगा। आवश्यकतानुसार उनके वार्षिक कार्य मूल्यांकन के आधार पर उनकी सेवा को विस्तारित करने अथवा नहीं करने के बिन्दु पर समय–समय पर निर्णय लिया जायेगा। कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर उक्त कर्मी की सेवा /अनुबंध समाप्त कर दिया जायेगा।

(ख) अतः ये पद किसी भी संवर्ग के नहीं होंगे अर्थात इनमें कोई भी पद प्रमंडलीय अथवा जिला स्तरीय संवर्ग का न होकर संवर्ग अवधारणा से स्वतंत्र होगा।

(ग) संविदा आधारित उपर्युक्त पदों पर नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राज्य स्तरीय आरक्षण / रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को नियमानुसार ऊपरी आयु सीमा में छूट अनुमान्य होगी।

(घ) सभी पद पूर्ण रूप से अस्थाई (अनुबंध पर) होंगे। इन पदो के विरूद्ध नियुक्त व्यक्ति का स्थाई का दावा अमान्य होगा एवं योजना के समाप्ति के साथ सभी पद समाप्त समझे जायेंगे।

(च) संविदा पर नियुक्त कर्मी को एक कैलेण्डर वर्ष में राज्य कर्मियों के समान आकस्मिक अवकाश देय होगा। परंतु वे किसी अन्य अवकाश के हकदार नहीं होंगे।

(छ) स्थानीय नीति से संबंधित विभागीय निर्देश के आलोक में नियुक्ति की प्रक्रिया प्रभावित होगी

4. नियुक्ति की प्रक्रिया : –

(क) संविदा आधारित उपर्युक्त पद पर नियमित नियुक्ति अथवा नियमितीकरण के संबंध में किसी प्रकार का का दावा अमान्य होगा।

(ख) उपर्युक्त सभी पद के लिए उपायुक्त, देवघर नियुक्ति प्राधिकार होंगे।

(ग) प्रत्येक स्तर पर यथा – प्रारंभिक मेधा सूची, अंतिम मेधा सूची एवं प्रतीक्षा सूची में चयनित कर्मियों के नाम सूचना पट्ट, स्थानीय समाचार पत्र एवं जिला स्तरीय वेबसाईट ***https://deoghar.nic.in/*** पर प्रदर्शित किये जायेंगे।

(घ) एक से अधिक पदों की अर्हता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थियों को प्रत्येक पद के लिए अलग–अलग आवेदन करने होंगे।

5. चयन का माणदण्ड : –

(1) वैसे अभ्यर्थी ही आवेदन करने के पात्र होंगे जिन्होंने कंडिका – 1 एवं 2 में उल्लेखित संबंधित पद के सभी शैक्षणिक योग्यता / अर्हता प्राप्त किया हो।

(2) प्रारंभिक मेधा सूची तैयार करने निमित्त अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अंक पत्र के आधार पर उन्हें निम्नवत अंक प्रदान किये जायेंगे।

क्र0	पदनाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता	मापदण्ड की प्रतिशतता				
			मैट्रिक	इन्टर	स्नातक	स्नातकोत्तर	कुल प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जिला योजना समन्वयक	स्नातकोत्तर	20	20	30	30	100
2	योजना सहायक	स्नातक	30	30	40	—	100

उदाहरण – 1 जिला योजना समन्वयक के पद के अभ्यर्थी का प्रतिशतता निम्नानुसार ज्ञात की जायेगी।

शैक्षणिक योग्यता	पूर्णांक	प्राप्त अंक	प्रतिशत	मापदण्ड का प्रतिशत	प्राप्त प्रतिशतता
मैट्रिक	1000	650	65	20%	13.00
इन्टर	1000	550	55.5	20%	11.10
स्नातक	1000	585	58.5	30%	17.55
स्नातकोत्तर	1000	610	61.00	30%	18.30
कुल –					59.95

उदाहरण – 2 योजना सहायक के पद के अभ्यर्थी का प्रतिशतता निम्नानुसार ज्ञात की जायेगी।

शैक्षणिक योग्यता	पूर्णांक	प्राप्त अंक	प्रतिशत	मापदण्ड का प्रतिशत	प्राप्त प्रतिशतता
मैट्रिक	1000	650	65	20%	13.00
इन्टर	1000	550	55.5	20%	11.10
स्नातक	1000	585	58.5	30%	17.55
कुल –					59.95

उक्त आधार पर इस पद के लिए प्रारंभिक मेधा सूची तैयार की जायेगी।

(3) कंडिका 1 में पद के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता में चिन्हित विषयों पर स्नातक/स्नातकोत्तर होने पर 5 (पाँच) अंको की अधिमानता दी जाएगी।

(4) प्रत्येक पद की रिक्ति के अनुरूप पाँच गुणा अभ्यर्थियों का चयन शीर्ष प्रारम्भिक मेधा सूची के अनुसार किया जायेगा।

(5) जिला योजना समन्वयक के पद पर प्रारम्भिक मेधा सूची के आधार पर पाँच गुणा अभ्यर्थियों से कम्प्युटर पर MS Office के प्रयोग की दक्षता हेतु जाँच परीक्षा ली जायेगी।

(6) जिला योजना समन्वयक के पद पर प्रारम्भिक मेधा सूची के आधार पर पाँच गुणा अभ्यर्थियों से कम्प्युटर पर MS Office के प्रयोग की दक्षता एवं हिन्दी तथा अंग्रेजी टाईपिंग की दक्षता हेतु जाँच परीक्षा ली जायेगी। कम्प्यूटर हिन्दी एवं अंग्रेजी टाईपिंग में क्रमशः 25 एवं 35 शब्द प्रति मिनट शुद्धता सहित उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(7) MS Office एवं कम्प्यूटर हिन्दी एवं अंग्रेजी टाईपिंग में क्रमशः 25 एवं 35 शब्द प्रति मिनट शुद्धता सहित उत्तीर्णता के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार की जायेगी।

(8) पदवार तैयार की गयी अंतिम मेधा सूची में प्रथम स्थान प्राप्त आवेदक को नियुक्त किया जायेगा एवं शेष आवेदक प्रतीक्षा सूची में माने जायेंगे। इस प्रतीक्षा सूची की वैद्यता अंतिम मेधा सूची के प्रकाशन की तिथि से 01 (एक) वर्ष की होगी।

(9) नियुक्ति के उपरांत रिक्ति की स्थिति में प्रतीक्षा सूची से मेधा क्रम के अनुसार रिक्त पद को भरा जायेगा।

6. आवेदन की प्रक्रिया : –

(1) आवेदन पत्र मात्र विहित प्रपत्र में ही स्वीकार किये जायेंगे। विहित प्रपत्र से अलग रूप में समर्पित आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे। आवेदन हेतु विहित प्रपत्र जिले के वेबसाईट ***https://recruitment.jharkhand.gov.in/*** से Download करेंगे। Download किये गये आवेदन को भर कर **Scan** करने के उपरांत **Scan** किये गये आवेदन एवं निम्न प्रमाण पत्रों की छाया प्रति को ***https://recruitment.jharkhand.gov.in/*** पर Upload करेंगे।

(2) इच्छुक उम्मीदवार विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र निम्न प्रमाण पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति के साथ समर्पित करेंगे :–

(क) मैट्रिक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।

(ख) इन्टर अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।

(ग) स्नातक अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।

(घ) स्नातकोत्तर अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र।

(च) सक्षम प्राधिकार द्वारा झारखण्ड राज्य के लिए निर्गत स्थानीयता प्रमाण पत्र।

(छ) सक्षम प्राधिकार द्वारा झारखण्ड राज्य के लिए निर्गत जाति प्रमाण पत्र। (आयु में छूट के लिए)

(ज) अनुभव से संबंधित प्रमाण पत्र।

(झ) कम्प्यूटर एवं टाईपिंग दक्षता संबंधी प्रमाण पत्र।

अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर 22 **है।**

नियुक्ति संबंधी निर्गत सूचना को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड के वेबसाईट ***https://recruitment.jharkhand.gov.in/***, देवघर जिला के पोर्टल ***https://deoghar.nic.in/***, एवं कार्यालय के सूचना पट्ट पर भी प्रकाशित किया जायेगा।

Sd/- 21/09/2022
उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 1398 **/स0क0, देवघर दिनांक** 23 **वीं सितम्बर, 2022 ई0।**

प्रतिलिपि : – जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि : – जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त सूचना से संबंधित दिशा–निर्देश, प्रपत्र एवं अन्य सभी सूचनाएँ देवघर जिला के बेवसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि : – मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, JAP-IT, राँची को सूचनार्थ एवं प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : – निदेशक, समाज कल्याण, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : – सरकार के सचिव, महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ समर्पित।

Sd/- 21/09/2022
उपायुक्त,
देवघर।

आवेदन प्रपत्र

स्व अभिप्रमाणित फोटो

1. आवेदित पद का नाम – ....
2. आवेदक का नाम – ....
3. लिंग –..
4. पिता/पति का नाम – ....
5. माता का नाम – ....
6. जन्म तिथि –..............................
7. दिनांक 01.08.2020 को उम्र – ....वर्ष...................माह...................... दिन
8. पहचान चिन्ह –
9. वर्तमान पता – ग्राम – ....पोस्ट–................................... थाना– ....

   जिला–...............................राज्य– .... पिन कोड–............................
10. स्थायी पता – ग्राम – ....पोस्ट–................................... थाना– ....

   जिला–...............................राज्य– .... पिन कोड–............................
11. मोबाईल नं0 –.. ई मेल आईडी0 – ....
12. (क) शैक्षणिक योग्यता –

क्र0	शैक्षणिक योग्यता	उत्तीर्णता का वर्ष	बोर्ड/संस्थान का नाम	कुल प्राप्तांक	प्राप्तांक का प्रतिशत	प्रमाण पत्र (हाँ/नहीं)	अंक पत्र संलग्न (हाँ/नहीं)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मैट्रिक						
2	इंटर						
3	स्नातक						
4	स्नातकोत्तर						

(ख) स्नातक का विषय –...

(ग) अन्य योग्यता – ....

(क) अनुभव प्रमाण पत्र : .... (संलग्न करें)

(ख) कम्प्यूटर में दक्षता प्रमाण पत्र – .... (संलग्न करें)

(ग) अंग्रेजी एवं स्थानीय भाषा में दक्षता (स्थानीय भाषा का उल्लेख करें) – ....

(घ) हिन्दी एवं अंग्रेजी टंकण दक्षता प्रमाण पत्र – .... (संलग्न करें)

13. कोटि – अजा/अजजा/पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग ....(प्रमाण पत्र संलग्न करें)

13. स्थानीयता प्रमाण पत्र – हाँ/नहीं (पत्रांक......................... दिनांक ....(संलग्न करें)

उपर्युक्त सभी जानकारी एवं तथ्य मेरी जानकारी में सही एवं दुरूस्त है। यदि किसी भी प्रकार की कोई जानकारी/अंश गलत पाया जाता है, तो मेरी उम्मीदवारी रद्द कर दी जायेगी।

स्थान – आवेदक का हस्ताक्षर

तिथि – (हिन्दी में एवं अंग्रेजी में) –